

परिपत्र संख्या- स0द0-25क/2022-23/1028 /कम्प्यूटर परि0सं0/ 2223052 /राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचल दल- अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: २। अक्टूबर, 2022

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0)

सहायक आयुक्त /राज्य कर अधिकारी (सचल दल)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**विषय:: सचल दल इकाइयों द्वारा सम्पादित प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में।**


आप अवगत हैं कि सचल दल सम्बंधी समस्त कार्य जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित boweb पोर्टल पर आनलाइन सम्पादित हो रहे हैं। जी0एस0टी0एन0 द्वारा API के माध्यम से पूर्व निष्पादित कार्यों को डाटा नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। उक्त से सम्बंधित विभागीय एम0आई0एस0 मॉड्यूल के GST MIS(New Format) के Enforcement टैब के अन्तर्गत MS Section में ARN Wise Collection Report प्रकाशित कर दी गई है। अतः अब विभागीय वेबसाइट के Enforcement टैब में पंजी-5 रिपोर्ट के लिए प्रविष्टियां पुनः अंकित किया जाना इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से आवश्यक नहीं रहेगा।

मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या-2223009 दिनांक 05-05-2022 एवं परिपत्र संख्या-2223020 दिनांक 15-06-2022 से सचल दल इकाइयों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को अवक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिए जाते हैं:-

1- सचल दल इकाइयों में कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा माल के परिवहन के दौरान किसी वाहन को अग्रिम कार्यवाही हेतु रोके जाने पर पूर्व की भांति विभागीय सर्वर पर एस0एम0एस0 भेजकर इंटरसेप्शन नम्बर प्राप्त किया जाएगा तथा इसी के आधार पर boweb पोर्टल पर केस आई0डी0 जनरेट करते हुए अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

2- MS इन्ट्री माड्यूल के अन्तर्गत MS Entry Menu में Mark Transporter Entry Sub Menu पर केवल चिन्हित करापवंचक ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की प्रविष्टियां अंकित की जाएंगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

 21/10/22

(मिनिस्ती एस.)

आयुक्त, राज्य कर

उत्तर प्रदेश।